संख्याः 1967/XXIV-3/07/04(01)2005

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 13 मार्च, 2008

विषयः शैक्षिक सत्र 2008–09 से विद्यालयों में माध्यमिक (कक्षा 9 एवं 10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 एवं 12) स्तर पर नवीन विषय संयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः पाठ्यपुस्तक/50292/विषय संयोजन/2007–08; दिनांकः 05 दिसम्बर,2007 के संबंध में तथा शासनादेश संख्याः 584/XXIV-3/2007/04(01)2005; दिनांकः 09 जुलाई 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2008–09 से विद्यालयों में माध्यमिक (कक्षा 9 एवं 10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 एवं 12) स्तर पर निम्नवत नवीन विषय संयोजन अनुमन्य किया जाता है।

2– सी0बी0एस0ई0 के पैटर्न एवं उत्तराखण्ड राज्य की विशिष्टता को समाहित करते हुए कक्षा– 09 एवं 10 के लिए निम्नवत विषय संयोजन अनुमन्य किया जाता हैः–

क्र0सं0	विषय	पूर्णांक	प्रश्नपत्र
1.	(क) हिन्दी	70	एक।
	(ख) संस्कृत	30	
2.	संस्कृत अथवा अंग्रेजी अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से विहित अन्य कोई भाषा	100	एक।
3.	..गणित/गणित–गृह विज्ञान	100	एक।
	प्रथम खण्ड व्यावहारिक गणित	70	
	द्वितीय खण्ड गृह विज्ञान	30	
4.	विज्ञान	100	एक।
5.	सामाजिक विज्ञान	100	एक।
6.	योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा		(आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)
7.	कार्यानुभव एवं उद्यमिता विकास		(आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)

क्रमशः.....2

अपठ

8.	कला शिक्षा		(आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)
9.	अतिरिक्त विषय तृतीय भाषा (कोई भी अन्य भारतीय भाषा) वाणिज्य, संगीत, पेन्टिंग,सूचना प्रौद्योगिकी एव कृषि	100	एक।

3– पूर्व व्यवस्था को जारी रखते हुए उक्त विषय क्रम में क्र0 संख्या– 1 से 5 तक तथा क्र0सं0 9 के विषयों में अंक एवं ग्रेडिंग प्रणाली तथा क्रम संख्या 6, 7, 8 में आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग की व्यवस्था लागू रहेगी। कक्षा 9 में विद्यालय स्तर पर गृह परीक्षा ली जायेगी तथा कक्षा 10 की परीक्षा उत्तराखण्ड बोर्ड द्वारा ली जायेगी। सी0बी0एस0ई0 की भांति कक्षा 9 एवं 10 की परीक्षा अलग–अलग पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित की जायेगी।

4– कक्षा–9 एवं 10 की परीक्षा में द्वितीय भाषा के प्राप्तांक एवं अतिरिक्त विषय के रूप में अन्य भाषा के प्राप्तांकों को आगणित किया जायेगा। हिन्दी को छोड कर अन्य किसी विषय के अंक की जगह अतिरिक्त विषय में अधिक अंक अर्जित करने पर अतिरिक्त विषय के अंक उस विषय के प्राप्तांक की जगह आगणित किये जा सकेंगे। परन्तु द्वितीय भाषा के प्राप्तांक केवल अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों से ही स्थानान्तरित किये जा सकेंगे। कक्षा–9वीं की गृह परीक्षा विद्यालय स्तर पर तथा 10वीं की बोर्ड परीक्षा सी0बी0एस0ई0 की भांति होंगी। कक्षा–9वी की परीक्षा एवं 10वीं की परीक्षा सी0बी0एस0ई0 की भांति दोनो वर्षो में अलग–अलग पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी।

5– उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा–11 एवं 12)

राज्य में कक्षा 1 से 12 तक सी0बी0एस0ई0 के पैटर्न को अंगीकृत किया गया है। अतः कक्षा–11 एव 12 मे सी0बी0एस0ई0 पैटर्न के आधार पर व्यवस्थाएं की जायेंगी, तथापि उत्तराखण्ड की उक्त वर्णित विशेषताओं के अनुरूप विषय संयोजन विभिन्न शैक्षिक शाखाओं मे निम्नवत अनुमन्य किया जाता है–

प्रथम विषय

उच्च माध्यमिक स्तर पर मानविकी, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में एक विषय हिन्दी भाषा का अनिवार्य होगा, जिसमें संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से समाहित रहेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा।

(क)	हिन्दी	70 पूर्णांक
(ख)	अनिवार्य संस्कृत	30 पूर्णांक

अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय

योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा

कक्षा–11 एवं 12 में आंतरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा।

क्रमशः.....3

अर्पण

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विषय किसी एक वर्ग से लिये जायेंगे।

पंचम विषय

कृषि वर्ग को छोडकर किसी अन्य वर्ग से एक विषय अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा भाषाओ हेतु विहित पाठ्यक्रम में अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवा उर्दू अथवा कोई एक भाषा अथवा अपने वर्ग से कोई एक विषय का चयन कर सकता है, जो प्रथम विषय के रूप में न लिया गया हो।

वर्गवार विषय निम्नवत हैं:–

(क) मानविकी वर्ग:–

1. इतिहास 2. भूगोल/भूगर्भ विज्ञान 3. अर्थशास्त्र 4. गृह विज्ञान 5.संगीत 6. ड्रांइग एव पेन्टिंग 7. राजनीति विज्ञान 8. मनोविज्ञान/शिक्षा शास्त्र 9. समाजशास्त्र 10. सैन्य विज्ञान 11. गणित 12. कम्प्यूटर।

(ख) विज्ञान वर्ग:–

1. गणित 2. भौतिक विज्ञान 3. रसायन विज्ञान 4. जीव विज्ञान 5. कम्प्यूटर ।

(ग) वाणिज्य वर्ग:–

1. एकाउन्टेन्सी 2. बिजनेस स्टडीज 3. अर्थशास्त्र 4. गणित 5. कम्प्यूटर।
(वाणिज्य वर्ग में एकाउन्टेन्सी तथा बिजनेस स्टडीज अनिवार्य रूप से लिये जायेंगे।)

(घ) कृषि वर्ग:– कृषि वर्ग के अन्तर्गत विषय संयोजन विद्यालयों मे पूर्व की भांति होगा।

कक्षा 11 (कृषि वर्ग, भाग–I) 1. शस्य विज्ञान 2. कृषि वनस्पति विज्ञान 3. कृषि भौतिक एव जलवायु विज्ञान 4. कृषि अभियन्त्रण 5. कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी।

कक्षा 12 (कृषि वर्ग भाग– II) 1. शस्य विज्ञान 2. कृषि अर्थशास्त्र 3. कृषि जन्तु विज्ञान 4. पशुपालन एव पशु चिकित्सा 5. कृषि रसायन 6. भाषा के रूप में हिन्दी विषय लिया जा सकेगा। इसके पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा 12 में परीक्षा ली जायेगी।

6– सी0बी0एस0ई0 से इतर विषय यथा–शिक्षा शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान, सैन्य विज्ञान का पाठ्यक्रम पूर्व की भांति रहेंगा तथापि सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर पुर्नगठित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत अन्य विषयों की भांति इन विषयों का भी एक ही प्रश्नपत्र होगा।

7– संदर्भगत प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अनुमन्य विषय संयोजन के शैक्षिक सत्र 2008–09 से विद्यालयो में क्रियान्वित किये जाने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

अर्पण

पृष्ठांकन संख्याः 1967(1)/XXIV-3/07/04(01)2005; तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, ।
2– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी,।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर शिक्षा निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल।
5– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, राम नगर, नैनीताल।
6– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल
7– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड।
7– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड
9– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।